कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-38/2016-17/

दिनांक : /12/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, काशीपुर

जिला - उधमसिंह नगर

विषय : क्षेत्र पंचायत काशीपुर का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना हैं कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **07** प्रस्तर तथा STAN मे **03** प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित हैं। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य हैं।

अतः अनुरोध हैं कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-38/2016-17/ **दिनांक: /12/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, उधमसिंह नगर

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी,क्षेत्र पंचायत- काशीपुर,जिला- उधमसिंह नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री दिनेश चन्द्र जोशी — खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम
(i) श्री के.बी.गुरुंग, पर्यवेक्षक
(ii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.
(iii) श्री एल.एस. लिंगवाल, स.ले.प.अ.
(iv) श्री एस. के. त्यागी, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 27.08.2016 से 03.09.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षेत्र पंचायत- काशीपुर, जनपद-उधमसिंह नगर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत हैं तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:- -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत हैं तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 39

भौगोलिक क्षेत्र :--

जनसंख्या :

निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

2- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 08

3- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: 06

4- कर्मचारियों की संख्या : 15

5- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

6- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

7- योजनाओं की संख्या :- 12

8- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

9- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

10- वर्ष के दौरान कुल व्यय : बजट (आय व्यय विवरण) के अनुसार

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

11- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया हैं- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- काशीपुर जनपद- उधमसिंह नगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के. त्यागी, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण मे श्री एल.एस. लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री के.बी. गुरुंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2016 से 03.09.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:-

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

STAN

प्रस्तरः-1 इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 14 लाभार्थियों के आवासों पर ` 2.45 लाख की धनराशि व्यय करने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहना।

इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना हैं जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासविहीन उन परिवारो को जिनके पास पर्याप्त सुविधा नही हैं आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं। उक्त योजनाओं के अन्र्तगत भवन निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 मे लाभार्थियों को रू0 70000 की सहायता दी जानी थी प्रत्येक आवास मे शौचालय एवं धुआरहित चूल्हा का निर्माण अवश्य किया जाना था प्रथम किस्त जारी होने के 9 माह के अन्दर लेंटर तक कार्य हो जाना चाहिए दूसरी किश्त जारी होने के तारीक से 9 माह के अन्दर आवास का कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि इन्दिरा आवास योजना के अन्र्तगत क्षेत्र पंचायत काशीपुर वर्ष 2014-15 मे 14 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की गयी थी लाभार्थियो द्वारा कार्य पूर्ण नही किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं।

क्र0सं0	**लाभार्थी का नाम**	**अवमुक्त की गयी धनराशि**	**दिनांक**
1.	चन्द्रवर्ती/रामपाल	17500	14.01.15
2.	जसविन्दर कौर	17500	26.03.15
3.	आंशया	17500	19.03.15
4.	सुनील	17500	10.12.14
5.	परमजीत कौर	17500	10.03.15
6.	गुरदास सिंह	17500	26.03.15
7.	वीना	17500	26.03.15
8.	आशा देवी	17500	06.01.15
9.	जमुना देवी	17500	26.03.15
10.	गगो देवी	17500	26.03.15
11.	सावित्री	17500	26.03.15
12.	मंजीत कौर	17500	26.03.15
13.	मनप्रीत कौर	17500	26.03.15
14.	राजवती	17500	30.03.15
	कुल	**245000**	

उपरोक्त के सम्बन्ध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गये है। इकाई का उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि योजना के तहत प्रथम किश्त जारी होने के पश्चात 9 माह के अन्दर लेंटर तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। लाभार्थियों द्वारा (अगस्त 2016 तक) द्वितीय किश्त की मांग नही की गयी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1- अस्वीकार्य मद पर ` 1.00 लाख का व्यय व आंगनबाडी केन्द्र भवनों का अधूरा निर्माण।

जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के पत्रांक C-50/2014-15 दिनाँक 8 अप्रैल 2015 द्धारा जनपद की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण एंव उच्चीकरण हेतु विकास खण्ड, काशीपुर को 15 आंगनबाडी भवनों के निमार्ण एंव उच्चीकरण हेतु विकास खण्ड काशीपुर को 15 आंगनबाडी भवनों के निर्माण (प्रति भवन ` 4.50 लाख) व एक भवन के उच्चीकरण (प्रति भवन ` 1.00 लाख) के लिए ` 68.50 लाख की धनराशि स्वीकृत /अवमुक्त की गयी थी। उच्चीकरण कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्र में रसोई/बेबी फ्रेन्डली टॉयलेट का निर्माण किया जाना था। आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निमार्ण हेतु माडल मानचित्र उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम द्वारा तैयार किया गया था। कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

विकास खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि स्वीकृत 15 आंगनबाडी केन्द्रो में से 15 माह उपरान्त भी अगस्त 2016 तक केवल 8 केन्द्रो का निर्माण पूर्ण हो पाया था, शेष 7 केन्द्रों का निर्माण अपूर्ण था। अभिलेखों की जांच मे यह भी संज्ञान में आया कि चाँदपुर द्वितीय में आंगनबाडी केन्द्र के उच्चीकरण के अन्तर्गत चारदीवारी का कार्य कराया गया था जबकि उच्चीकरण के अन्तर्गत रसोई/बेबी फ्रेन्डली टॉयलेट का निर्माण कराया जाना था।

इंगित किये जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि ग्राम पंचायतों को अवमुक्त कर दी गयी थी, समय-समय पर दिशा निर्देश दिये जाते रहें हैं। आंगनबाडी केन्द्र के उच्चीकरण में चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर विकास खण्ड द्वारा जांचोपरान्त पूर्ण तथ्यों से सम्प्रेक्षा को अवगत करानें की बात कही गयी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योंकि फरवरी 2015 को जिलधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सम्पादित बैठक के कार्यवृत्त में केन्द्रों के उच्चीकरण के अन्तर्गत रसोई/बेबी फ्रेन्डली टॉयलेट के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। अन्यत्र मद पर धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 2- (1) सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटिपूर्ण ब्याज की गणना किया जाना।

इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के सा0भ0नि0 से संबंधित अभिलेखों की जाच में पाया गया कि इकाई द्वारा सा0भ0नि0 पंजिका का रख रखाव ठीक ढंग से नही किया जा रहा था, एवं ब्याज की गणना भी त्रुटिपूर्ण थी जैसे : श्री राजेश्वर महर, खाता संख्या- BALA/16 की भविष्य निधि पुस्तिका में वर्ष 2014-15 में ब्याज की वास्तविक गणना ` 4243/- आ रही हैं जबकि भविष्य निधि पुस्तिका में ब्याज की राशि ` 18598/- अर्थात `14355/- अधिक दर्शाई गई थी इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में वास्तविक ब्याज की धनराशि ` 9680/- होनी थी जबकि पुस्तिका में ` 8248/- अर्थात ` 1432/- कम दिखायी गई थी।

आगे देखा गया कि श्री ध्यान सिंह रावत, खाता सं0 CPU/38576 एंव श्री नन्द किशोर, खाता सं0 CPU/60484 की सा0भ0नि0 पुस्तिका के आहरण कॉलम में क्रमशः कोषागार वाउचर सं0, स्वीकृति आदेश क्रमांक एंव दिनांक अंकित नहीं किए गए थे, जिससे सही प्रकार से ब्याज़ की गणना (आहरित राशि पर) करना संभव नही हो पाता हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एंव आंकडों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि आवश्यक सुधार कर लिए जायेंगे।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही था क्योंकि सामान्य भविष्य निधि खातों का रख-रखाव सही प्रकार से करने का उत्तर दायित्व इकाई का हैं। व्याज की गणना करने के पश्चात उसकी जांच करना आवश्यक होता हैं।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

(2) शासनादेशों के विपरीत कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त (सा.नि.वेतन आयोग) की अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 25.10.2005 में स्पष्ट रुप से शासकीय एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु (उक्त माह या उसके पश्चात सेवा में आये) न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया था कि 1 अक्टूबर 2005 से सेवा में आये कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से वेतन+ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ते के 10% धनराशि अंशदायी पेंशन योजना हेतु काटी जायेगी तथा उतनी ही धनराशि सेवायोजक संस्था (विभाग) द्वारा भी कर्मचारी/अधि. के खाते में नियमित रुप से जमा किया जायेगा।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई में दो कर्मचारी श्री अमित. कुमार अडवाल एवं श्री राकेश कुमार उपाध्याय क्रमशः वर्ष 2013 एवं दिसम्बर 2015 में सेवा में आये थे परन्तु उनके वेतन से अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित कोई भी धनराशि नहीं काटी जा रही थी और ना ही सेवायोजक विभाग (खण्ड

विकास अधिकारी, कार्यालय काशीपुर) द्वारा इस प्रकार की कोई धनराशि कर्मचारियों के खाते में जमा की जा रही थी।

लेखा परीक्षा में इस संबंध में ध्यान दिलाये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि स्पष्ट शासनादेश के अभाव में कटौती नही की गई थी शीघ्र ही शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि शासनादेश (अधिसूचना) में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे।

अतः कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-4 (ब)II

प्रस्तरः 2 - विभिन्न मदों में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि ` 4.18 लाख का राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-347/वि.आ.नि.दे (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (जि0पं0, क्षेत्र पं0 एवं ग्राम पं0) को विभिन्न स्रोतो से प्राप्त धनराशि जो कि किन्ही कारणों से व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैकं खातों में जमा रहती हैं एवं उस पर ब्याज़ अर्जित होता हैं, पर अर्जित ब्याज़ की धनराशि को शीघ्र ही राजकोष (मु0 ले0 शीर्ष 0049 व्याज प्राप्तियां) में जमा करा दिया जाना चाहिए।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान विभिन्न बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-16 की अवधि में विभिन्न बैंक खातों से व्याज के रूप में ` 8,09,087/- प्राप्त हुए थे जिसमें से मात्र ` 3,90,674/- को ही इकाई द्वारा राजकोष में जमा कराया गया था, जबकि अभी भी ` 4,18,413/- अभी भी इकाई के बैंक खातों में ही पड़े थे।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इगित किए जाने पर इकाई का उत्तर था कि ` 390,674/- मात्र ही राजकोष में जमा किये गये हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार शीघ्र ही समस्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए था।

अतः ` 4.18 लाख व्याज प्राप्ति की धनराशि को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>प्रस्तर 3:-</u> विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्णयोजनाओं के सापेक्ष बचत राशि ` 4.00 लाख एंव अर्जित व्याज ` 0.23 लाख को शासकीय निर्देशों के विपरीत राजकोष में जमा न किया जाना।

सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा मई, 2013 में विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष बचत धनराशि व अर्जित व्याज राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाने के निर्देश दिये थे।

विकास खंड, काशीपुर के विधायक निधि अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि जुलाई 2016 में इस निधि में ` 4,00,158/- का अन्तिम शेष था तथा निधि में जमा राशि पर ` 23,268/- का ब्याज़ अर्जित किया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित जुलाई 2016 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन में यह भी संज्ञान में आया कि वर्ष 2015-16 में स्वीकृत सभी 21 योजनायें पूर्ण हो चुकी थी जिनमें से 15 योजनाओं की अन्तिम किस्त 25 प्रतिशत का भुगतान विकास खण्ड को धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो की कोई भी योजना अपूर्ण नहीं थी, न ही कोई भुगतान शेष था। इस प्रकार, अन्तिम शेष राशि ` 4.00 लाख विभिन्न पूर्ण योजनाओं की बचत राशि थी।

मय ब्याज योजनाओं की पूर्ण बचत राशि को राजकोष में जमा न किये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योकिं विकास खण्ड द्वारा मार्च 2016 में ब्याज़ की राशि जिला विकास अधिकारी को वापिस की गयी थी, उसी समय बचत राशि को भी राकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-2

<u>प्रस्तर 4:-</u> "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजनान्तर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता को धनराशि ` 0.46 लाख का अधिक भुगतान।

गाँवो को सड़क के माध्यम से जोड़ने एंव गाँवो से पलायन रोकने के दृष्टिगत "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत एक किमी तक की लम्बाई की छोटी ग्राम लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाना था। विकास खण्ड, काशीपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 में ` 35.00 लाख की राशि (जून 2015) इस मद के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। स्वीकृत धनराशि से निम्न दो योजनायें पूर्ण करायी जानी थीः-

(1) ग्राम पैगा में अलीगंज मेन रोड़ बघेलेवाला से पैगा गाँव तक ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य।

(2) ग्राम धनौरी फिरोजपुर में भगवन्तपुर से फिरोजपुर नहर की ओर ग्रामीण सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।

योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी, शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा मद से युगपितीकरण (डबटेलिंग) के माध्यम से वहन की जानी थी।

योजना पत्रावलियों के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि ग्राम पैगा में सड़क निर्माण योजना पर आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार धनराशि ` 0.46 लाख का अधिक भुगतान किया गया थाः-

मद का विवरण	बिल नं. एवं तिथि	मद का माजा		स्वीकृत दर	बिल की दर	दरो का अन्तर	अधिक्य राशि (धनराशि ` में)
		राज्य मद	मनरेगा मद				
20 एम. एम. स्टोन बेलेट की आपूर्ति	617 व 618 दिनांक 28.06.2015	56 घन मी.	93.28 घन मी.	1080 प्रति घन मी.	1180 प्रति घन मी.	100 प्रति घन मी.	14,928.00
		योग = 149.28					
40 एम. एम. स्टोन बेलेट की आपूर्ति		115 घन मी.	199 घन मी.	1080	1180	100	31,400.00
		योग =314.00					
						योग	46,328.00

अधिक भुगतान के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक भुगतान की वसूली हेतु आदेश यथाशीघ्र जारी किये जायेगें।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि आपूर्तिकर्ता को बिलों का भुगतान किये जाने के पूर्व बिल की दरों का मिलान स्वीकृत दरों से किया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि ` 0.46 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

<u>प्रस्तर 5:-</u> **` 4.43 लाख की धनराशि का लम्बे समय तक उपभोग न होने के पश्चात भी शासन को समर्पण न किया जाना।**

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुछ मदों में धनराशि काफी समय (मार्च 2013 से भी पहले से) से अन उपयोगी पड़ी हैं जिसे कि शीघ्र ही शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था किन्तु नहीं की गई थी, विवरण इस प्रकार हैं।

01.	वी.डी. एस. रिफण्ड	1,00,000/-
	वी.डी. एस. रिफण्ड ब्याज	37,293/-
02.	मुख्यमंत्री शिल्पकार योजना	35,000/-
	मुख्यमंत्री शिल्पकार योजना ब्याज	7046/-
03.	महिला उत्थान (5.00 लाख 2003 से ब्याज)	2,63,875/-
	कुल	4,43,214/-

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकडों व तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि महिला उत्थान से संबंधित प्रकरण P.D., DRDA उधम सिंह नगर कार्यालय में चल रहा हैं, अन्य मदों के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यावाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि उक्त धनराशि को अनुपयोगी पडे हुए चार वर्ष से भी अधिक समय हो चुका हैं इसे अभी तक उच्च अधिकारियों के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया था।

अतः ` 4.43 लाख की धनराशि का चार वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोगी पड़े रहने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-3 (1) गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्यों पर ` 1.75 लाख का व्यय ।

भारत सरकार द्वारा 13 वें वित्त की अनुशंसा पर मात्र पथ प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य ही अनुमन्य थे।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कराए गए निम्न कार्य 13 वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के विपरीत थे।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	व्यय की गई धनराशि
i.	ग्राम दयौराटोडा में राम स्वरुप के घर से विजयपाल के घर तक नाली का निर्माण	75,000/-
ii.	ग्राम पट्टी वज्जर में काशीराम के घर से पुल तक नाली निर्माण	99,919/-
	योग	1,74,919/-

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य स्वीकृत कराने से पूर्ण दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य हैं।

अतः रुपये 1.75 लाख के कार्य 13 वें वित्त के दिशा निर्देशों के विपरीत किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

(2) ठेकेदारों से रायल्टी जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना ।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 के 13 वें वित्त से संबंधित अभिलेखों की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आई हैः-

ग्राम कुण्डेश्वरी में गढ़वाल ब्लाक में राम भरोसे के घर के पास सी.सी. व नाली निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न कार्य की निविदा/कोटेशन की शर्त क्र. 3 में स्पष्ट था कि खनन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य के प्रत्येक बिल के साथ रायल्टी भुगतान का प्रमाण पत्र ठेकेदार को अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संबंधित देयक से रायल्टी की धनराशि काट ली जायेगी किन्तु उक्त कार्य से

संबंधित पत्रावली में न तो ठेकेदार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया था न ही इकाई द्वारा ठेकेदार के बिलों से रायल्टी काटी गई थी।

आगे देखा गया कि अनुबंधसार में अनुबंध संख्या, अनुबंध का दिनांक, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि अंकित नही थी ।

(3) बिना स्वीकृति या आदेश के 13 वें वित्त से संबंधित कार्य को डबटेलिंग के आधार पर कराया जाना।

किसी भी कार्य को डबटेलिंग के आधार पर कराये जाने हेतु कार्य की योजना बनाते समय ही निर्धारित किया जाना आवश्यक हैं।

इकाई द्वारा कराए गए कार्य ग्राम महादेव नगर में चकरोड से जनरेल सिंह के घर की तरफ सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य संबंधी पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में कहीं भी कार्य को डबटेलिंग पर कराये जाने संबधी कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे जिससे ज्ञात होता हैं कि कार्य डबटेलिंग के आधार पर नही हुआ हैं किन्तु पत्रावली के अंत में ग्राम विकास अधिकारी के एक पत्र (बिना नाम व दिनांक के) से संज्ञान में आया कि उक्त कार्य डबटेलिंग के आधार पर कराया गया था तथा मजदूरी का भुगतान मनरेगा मद से कराये जाने का अनुरोध ग्रा. वि. अधि. द्वारा किया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि कार्यादेश में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी या ठेकेदार का नाम नहीं लिखा गया था साथ ही कार्य प्रारंभ करने संबंधी पत्र में न तो अनुबंध संख्या ही लिखी गई थी एवं ना ही अनुबंध का दिनांक ।

प्रस्तर के बिन्दु क्र. 2 एवं 3 के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई का उत्तर क्रमशः इस प्रकार था।

प्रस्तर के बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में इकाई का कहना था कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा जबकि बिन्दु क्र. 3 के संबंध में इकाई का कहना था कि कार्य डबटेलिंग के आधार पर कराया गया था एवं अन्य जानकारियां पत्रावली में भर दी जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रायल्टी जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र न होने पर बिल से रायल्टी की धनराशि काट ली जानी चाहिए थी एंव कार्य को डबटेलिंग के आधार पर कराए जाने संबंधी जानकारी पत्रावली में संलग्न होनी चाहिए थी जो कि नही थी।

अतः रायल्टी जमा संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने व कार्य को डबटेलिंग के आधार पर कराए जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग-4 (ब) 2

प्रस्तरः-6 अनुसूचित जाति के कार्य हेतु आवंटित धनराशि ` 4.61 लाख का योजनाओं पर व्यय न किया जाना।

क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के आधार पर धनराशि को श्रेणीवार फांट कर अवमुक्त किया गया था जिससें क्षेत्र पंचायत श्रेणीवार योजना बनाकर सभी वर्गो को सामान्य रुप से लाभ प्रदान कर सके। क्षेत्र पंचायत विकास निधि के वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ` 16.08 लाख (7.23+8.85) के सापेक्ष ` 4.61 लाख अनुसूचित जाति के विकास कार्यों हेतु अवमुक्त किया गया था।

क्षेत्र पंचायत, काशीपुर के अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि इकाई द्वारा अवमुक्त धनराशि ` 16.08 लाख के सापेक्ष ` 11.47लाख सामान्य जाति एवं ` 4.61 लाख अनुसूचित जाति के विकास कार्यों पर व्यय किया जाना था, परन्तु इकाई को श्रेणीवार अवमुक्त धनराशि को योजनाओं के अनुरुप व्यय नही किया गया। जिसके फलस्वरुप अनुसूचित जाति को इसका पूर्ण लाभ नही मिल सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बताया गया की प्राप्त धनराशि के अनुसार योजनाओं पर व्यय किया जाता हैं।

उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2014-15 व 2015-16 में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन कार्यों पर श्रेणीवार योजना नही बनायी गयी। जिस कारण अनुसूचित जाति की योजनाओं पर कितना व्यय किया गया पुष्टि नही किया जा सका।

अतः अनुसूचित जाति योजना हेतु प्राप्त धनराशि ` 4.61 लाख को उन्ही की योजनाओं पर व्यय न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-4 (ब) 2

प्रस्तरः-7 विगत दो वर्षों से कार्य अनारम्भ रहना।

वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि को उसी वर्ष व्यय किया जाना चाहिए, जिससे विकासात्मक कार्य का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 मे 34 (17+17) कार्यों का प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त की गई थी। कार्य के सापेक्ष ` 16.08 लाख अवमुक्त किया गया था।

क्षेत्र पंचायत काशीपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत अनुमोदित 34 कार्यों के सापेक्ष 07 कार्य लेखापरीक्षा तिथि (माह 9/2016) तक आरम्भ नही किया गया था। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं।

(धनराशि ` लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय	कार्य की स्थिति
1.	ग्राम पंचायत खरमास के गाँव पटटी बज्जर में मन्दिर के आगे इ. मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
2.	ग्राम पंचायत पच्चावाला में लक्खा सिंह के घर के आगे इ.मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
3.	ग्राम पंचायत धनौरी पट्टी में मैन बाजार में इ.मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
4.	ग्राम पंचायत खडकपुर देवीपुरा मे सुमित के घर के तिराहैं पर इ. मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
5.	ग्राम गोपीपुरा मे पाण्डे कालोनी में कमलेश देवी के घर के पास ई. मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
6.	ग्राम पच्चावाला मे शमशेर सिंह के घर के पास ई. मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ
7.	ग्राम फिरोजपुर नई कालोनी में काले पुत्र जबर सिंहर के घर के पास ई. मा. हैंण्डपम्प की स्थापना	0.55/2014-15	शून्य	अनारम्भ

उपरोक्त ` 3.85 लाख के कार्य अनारम्भ रहने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा कार्य कराने हेतु रोक लगा दी गई थी, जिस कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका। कार्य शीघ्र पूर्ण करने की अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि कार्य को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त शीघ्र पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था जिससे इसका पूर्ण लाभ जनता को मिल सके एवं लक्ष्य की समय पर प्राप्ति की जा सके।

अतः विगत दो वर्षों से कार्य अनारम्भ रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी, **क्षेत्र पंचायत- काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था. निकाय